

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर०-108/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० कंचन कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नावानगर, बक्सर का दिनांक-26.10.2023 से 25.10.2025 तक अध्ययन अवधि एवं दिनांक-26.10.2025 से 26.12.2025 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :-

I. दिनांक-26.10.2023 से 25.10.2025 तक			
i	दिनांक-26.10.2023 से 25.10.2025 तक	-	अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय पत्राक-2045(2) दिनांक-30.11.2011)।
II. दिनांक-26.10.2025 से 26.12.2025 तक (कुल-62 दिन)			
i	दिनांक-26.10.2025 से 27.11.2025 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग में)।
ii	दिनांक-28.11.2025 से 02.12.2025 तक	-	देय अवकाश के रूप में।
iii	दिनांक-03.12.2025 से 26.12.2025 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग में)।

2. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/आर०-108/2026-

1887(2) पटना, दिनांक 6/8/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नावानगर, बक्सर/कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/डा० कंचन कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नावानगर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।